

श्रम और रोजगार मंत्रालय
मांग संख्या 60
श्रम और रोजगार मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष		बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व पूंजी जोड़	873.28 7.47 880.75	1560.81 1.41 1562.22	2434.09 8.88 2442.97	752.53 7.47 760.00	1572.44 1.34 1573.78	2324.97 8.81 2333.78	956.83 8.33 965.16	1881.76 1.41 1883.17	2838.59 9.74 2848.33	
1.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं श्रम और रोजगार श्रम	2251	...	35.00	35.00	...	30.94	30.94	...	32.50	32.50
2.	अनुसंधान एवं सांख्यिकी	2230	7.50	10.90	18.40	11.47	9.94	21.41	17.90	8.79	26.69
		4250	0.20	0.03	0.23	0.20	0.03	0.23	0.25	0.03	0.28
	जोड़		7.70	10.93	18.63	11.67	9.97	21.64	18.15	8.82	26.97
3.	औद्योगिक संबंध	2230	5.70	47.08	52.78	9.06	44.82	53.88	10.55	42.04	52.59
		4250	...	0.07	0.07	...	0.06	0.06	...	0.07	0.07
	जोड़		5.70	47.15	52.85	9.06	44.88	53.94	10.55	42.11	52.66
4.	कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा	2230	12.79	51.64	64.43	12.53	52.65	65.18	17.21	53.54	70.75
		4250	1.30	0.11	1.41	1.30	0.11	1.41	1.31	0.11	1.42
	जोड़		14.09	51.75	65.84	13.83	52.76	66.59	18.52	53.65	72.17
5.	श्रमिक कल्याण योजनाएं	2230	...	268.54	268.54	...	307.33	307.33	...	326.40	326.40
		3601	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
		4250	...	1.34	1.34	...	1.34	1.34	...	3.66	3.66
	जोड़		...	269.91	269.91	...	308.70	308.70	...	330.09	330.09
6.	श्रम कल्याण निधियों को/से निवल अन्तरण										
6.01	बीड़ी कामगार कल्याण निधि										
	को	2230	...	214.00	214.00	...	238.70	238.70	...	238.70	238.70
	से	2230	...	-231.40	-231.40	...	-271.45	-271.45	...	-289.40	-289.40
		3601	...	-0.03	-0.03	...	-0.03	-0.03	...	-0.03	-0.03
		4250	...	-1.18	-1.18	...	-1.18	-1.18	...	-3.50	-3.50
	निवल		...	-18.61	-18.61	...	-33.96	-33.96	...	-54.23	-54.23
6.02	अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि										
	को	2230	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50
	से	2230	...	-2.56	-2.56	...	-2.36	-2.36	...	-2.30	-2.30
	निवल		...	0.94	0.94	...	1.14	1.14	...	1.20	1.20
6.03	लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि										
	को	2230	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
	से	2230	...	-16.10	-16.10	...	-15.11	-15.11	...	-15.81	-15.81
		4250	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
	निवल		...	8.86	8.86	...	9.85	9.85	...	9.15	9.15
6.04	चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि										
	को	2230	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
	से	2230	...	-16.47	-16.47	...	-16.49	-16.49	...	-16.94	-16.94
		4250	...	-0.10	-0.10	...	-0.10	-0.10	...	-0.10	-0.10
	निवल		...	8.43	8.43	...	8.41	8.41	...	7.96	7.96
6.05	सिनेमा कामगार कल्याण निधि										
	को	2230	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50
	से	2230	...	-2.01	-2.01	...	-1.92	-1.92	...	-1.95	-1.95
		4250	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02
	निवल		...	0.47	0.47	...	0.56	0.56	...	0.53	0.53
	जोड़		...	0.09	0.09	...	-14.00	-14.00	...	-35.39	-35.39
	श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा										
7.	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	2230	...	994.00	994.00	...	994.00	994.00	...	1300.00	1300.00

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8. असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन-एवं-जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना	2230	...	16.90	16.90	...	16.45	16.45	...	17.14	17.14
9. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	2230	308.00	...	308.00	230.90	...	230.90	314.89	...	314.89
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा श्रमिक शिक्षा		308.00	1010.90	1318.90	230.90	1010.45	1241.35	314.89	1317.14	1632.03
10. केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	2230	7.20	26.40	33.60	7.20	26.40	33.60	8.55	29.00	37.55
11. राष्ट्रीय श्रम संगठन	2230	4.30	3.30	7.60	4.30	3.14	7.44	4.05	3.60	7.65
जोड़-श्रमिक शिक्षा		11.50	29.70	41.20	11.50	29.54	41.04	12.60	32.60	45.20
12. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	3601	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.90	...	0.90
13. बाल/महिला श्रमिक की कार्य दशा में सुधार	2230	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	121.50	...	121.50
14. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2230	...	9.40	9.40	...	9.40	9.40	...	9.58	9.58
15. अन्य मदें	2230	0.96	0.86	1.82	0.96	0.67	1.63	1.43	0.92	2.35
जोड़-श्रम रोजगार और प्रशिक्षण		438.75	1430.69	1869.44	368.72	1452.37	1821.09	498.54	1759.52	2258.06
16. रोजगार	2230	4.02	39.21	43.23	3.70	35.56	39.26	8.38	35.93	44.31
16.1 भूमि अंतरण न होने के कारण धन वापसी और भूतपूर्व केन्द्रीय रोजगार केन्द्र कार्यालय, गोरखपुर के भवन के लिए ईपीएफओ को भुगतान	4250	0.36	0.26	0.62	0.36	0.25	0.61	0.21	0.26	0.47
जोड़		4.38	39.47	43.85	4.06	35.81	39.87	8.59	36.19	44.78
17. प्रशिक्षण										
17.1 सामान्य संघटक	2230	93.98	51.20	145.18	89.43	49.32	138.75	133.40	49.80	183.20
	3601	29.08	...	29.08	14.05	...	14.05	5.10	...	5.10
	3602	0.55	...	0.55	0.45	...	0.45	0.19	...	0.19
	4250	5.60	0.80	6.40	5.60	0.76	6.36	6.50	0.80	7.30
जोड़		129.21	52.00	181.21	109.53	50.08	159.61	145.19	50.60	195.79
17.02 ईएपी संघटक	2230	22.00	...	22.00	21.36	...	21.36	28.06	...	28.06
	3601	193.00	...	193.00	176.00	...	176.00	177.44	...	177.44
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
जोड़		216.00	...	216.00	198.36	...	198.36	207.50	...	207.50
17.03 सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण	6250	730.00	...	730.00	730.00	...	730.00	735.00	...	735.00
घटाइए : सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6250	-730.00	...	-730.00	-730.00	...	-730.00	-735.00	...	-735.00
जोड़-प्रशिक्षण		345.21	52.00	397.21	307.89	50.08	357.97	352.69	50.60	403.29
जोड़-रोजगार और प्रशिक्षण		349.59	91.47	441.06	311.95	85.89	397.84	361.28	86.79	448.07
जोड़-श्रम और रोजगार		788.34	1522.16	2310.50	680.67	1538.26	2218.93	859.82	1846.31	2706.13
18. अनु.जा., अनु. जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	3.40	4.92	8.32	3.32	4.45	7.77	5.28	4.22	9.50
	4225	0.01	0.14	0.15	0.01	0.13	0.14	0.06	0.14	0.20
जोड़		3.41	5.06	8.47	3.33	4.58	7.91	5.34	4.36	9.70

		बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
(करोड़ रुपए)											
19.	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था										
	19.01 सामान्य संघटक	2552	65.00	...	65.00	52.00	...	52.00	76.50	...	76.50
	19.02 ईएपी संघटक	2552	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	23.50	...	23.50
	जोड़		89.00	...	89.00	76.00	...	76.00	100.00	...	100.00
20.	सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण घटाइए : सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6552	20.01	...	20.01	20.01	...	20.01	15.00	...	15.00
	जोड़	6250	-20.01	...	-20.01	-20.01	...	-20.01	-15.00	...	-15.00
	कुल जोड़		89.00	...	89.00	76.00	...	76.00	100.00	...	100.00
			880.75	1562.22	2442.97	760.00	1573.78	2333.78	965.16	1883.17	2848.33
ग.	आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1.	श्रम और रोजगार	22230	807.59	...	807.59	700.30	...	700.30	894.66	...	894.66
2.	अनु.जा., अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	3.41	...	3.41	3.33	...	3.33	5.34	...	5.34
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	89.00	...	89.00	76.00	...	76.00	100.00	...	100.00
			900.00	...	900.00	779.63	...	779.63	1000.00	...	1000.00
मांग संख्या 100			0.60	...	0.60	1.98	...	1.98	0.50	...	0.50
मांग संख्या 101			18.65	...	18.65	17.65	...	17.65	34.34	...	34.34
	जोड़		19.25	...	19.25	19.63	...	19.63	34.84	...	34.84

*शहरी विकास मंत्रालय के निर्माण कार्य परिव्यय सहित।

1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं - इसके अन्तर्गत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. अनुसंधान एवं सांख्यिकी - इसके अन्तर्गत श्रम के विभिन्न विषयों के बारे में आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका प्रकाशन, जांच पड़ताल करने, सर्वेक्षण और अनुसंधान विषयक अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है।

3. औद्योगिक संबंध - इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुधारने तथा श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं आदि के कार्यान्वयन का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिये तथा काम की अन्य स्थितियों व मजदूरी को नियमित करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करने, समझौतों और पंचाटों, श्रम कानूनों का शीघ्र कार्यान्वयन करने से संबंधित खर्च की व्यवस्था शामिल है।

4. कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा - इसके अंतर्गत फ़ैक्टरी सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रमिक संस्थानों के लिए व्यवस्था है जो गोदी कामगारों और फ़ैक्टरी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के लिए भी व्यवस्था की गई है जो कोयला तथा कोयला-भिन्न खानों और तेल क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है।

5. श्रमिक कल्याण योजनाएं - इसके अन्तर्गत बीड़ी कामगारों, अन्नक खानों, लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (कोयला खान के कामगारों को छोड़कर) चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम कर रहे श्रमिकों और सिनेमा कामगार कल्याण योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है। खर्च को संबंधित श्रम कल्याण अधिनियमों के तहत लगाए गए और वसूल किए गए उपकर से पूरा किया जाता है, जिसे सरकारी खाते की आरक्षित निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

6. श्रम कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण - यह विभिन्न श्रम कल्याण निधियों को उप-करों की अंतरित राशि और इन निधियों से श्रम कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि के अन्तर का द्योतक है।

7. कर्मचारी पेंशन योजना 1995 - इस नए स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक कामगारों के परिवारों हेतु पेंशन और जीवन बीमा के लाभों के लिए प्रावधान है। इसमें इस स्कीम के लिए सरकार के अंशदान के लिए प्रावधान है।

8. असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान के कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना - बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन तथा जीवन बीमा योजना और चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना असम राज्य सरकार के माध्यम से असम के उन बागान कामगारों के लिए प्रशासित की जाती है जो असम चाय बागान भविष्य निधि द्वारा नियमित किए जाते हैं और इन पर परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा अधिनियम असम सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रावधान में योजना के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था है।

9. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा: असंगठित क्षेत्र के कामगार, जो श्रम बल का लगभग 94% हिस्सा हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक मुख्य असुरक्षा है कि मजदूर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा उपचार के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पहली अक्टूबर, 2007 को "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" शुरु करके एक शुरुआत की है। पहली अप्रैल, 2008 से श्रमिकों को इसका लाभ मिलने लगा है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार के लिए 30,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करती है।

10. **केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड** - भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में एक त्रिपक्षीय समिति के रूप में स्थापित केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड वर्ष 1957 में आयोजित पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों की शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभाता है।

11. **राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान** - 1972 में स्थापित वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण, परामर्श, प्रकाशन आदि सहित अनुसंधान का कार्य करता है।

12. **बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास** - यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम है जो कि राज्यों/संवैच्छिक एजेंसियों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से संबंधित उनके कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए है।

13. **बाल/महिला श्रमिकों की कार्य-परिस्थिति में सुधार लाना** - इसके अन्तर्गत बाल/महिला श्रमिकों के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था की गई है।

14. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** - अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक चंदा की अदायगी करना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा रोजगार संवर्धन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल को आवास तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि जुटाना शामिल है।

15. **अन्य मर्दे** - (i) इसमें मंत्रालय में कार्यकुशलता में और सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था शामिल है।

(ii) प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और युद्ध में घायल कर्मचारियों तथा नागरिकों को पेंशन/मुआवजे की अदायगी।

(iii) अनुसंधान/शैक्षिक संस्थाओं आदि को सहायता-अनुदान।

(iv) यह प्रावधान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए है।

16. **रोजगार** - रोजगार योजनाओं में मुख्य रूप से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, व्यावसायिक मार्ग दर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श, शिक्षा एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से कुछ चुनिंदा श्रेणियों को रोजगार संबंधी सहायता, अपंगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा साथ ही रोजगार सेवाओं में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शामिल है।

17. **प्रशिक्षण**: इसमें निम्नलिखित योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है:-

(i) **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन** :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह योजना 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नत करने के लिए है। इनसे, 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को घरेलू संसाधनों तथा शेष 400 को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाना है।

(ख) सरकार ने सरकारी-निजी भागीदारी के अन्तर्गत विशिष्ट ट्रेडों और कौशलों में 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नत करने की योजना शुरू की है। संस्थान विकास योजनाओं (आईडीपी) के आधार पर निधियां जारी की जा रही हैं। उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में इन संस्थानों को उन्नयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

(ii) **उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण** - केन्द्रीय क्षेत्र की इस स्कीम का उद्देश्य परिचालन और अनुसंधान, दोनों ही क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी के लिए कर्मचारियों की नई पीढ़ी को विकसित करना है।

(iii) **विद्यालयों के युवाओं, कर्मचारियों, आईटीआई स्नातकों आदि को प्रशिक्षण प्रदान करना** : आईटीआई/आईटीसी और अन्य संगठनों में उपलब्ध आधारभूत ढांचे का इष्टतम उपयोग करके इस स्कीम में उन सभी की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा जो अपनी रोजगार क्षमता को सुधारने के लिए अपने हुनर को बढ़ाना या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत व्यक्तियों के विद्यमान कौशल का परीक्षण भी किया जाता है और उसे प्रमाणित किया जाता है। गैर-संगठित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर ध्यान वाले पाठ्यक्रमों पर भी जोर दिया जाएगा।

(iv) **अन्य स्कीमें** - इसमें रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिए उत्तरदायी भारत के एक शीर्ष संगठन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित अनेक छोटी-छोटी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है।

18. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण**: इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इन वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र शामिल है। ये शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और अभिकरणों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने की एक दूसरी योजना भी कुछ शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में आरम्भ की गई है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

19. **पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान** : यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।

20. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति को ऋण** : यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करने के लिए संबद्ध आईटीआई की संस्थान प्रबंधन समिति को ऋण देने के लिए है।